:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल **RAS**

मूकदमा नम्बर 19 / 2024 दायर दिनांक 29.02.2024

मानसिंह डामोर पिता कनका डामोर जाति डामोर निवासी झलाई तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूँगरपुर राज.।

––प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज.।

––अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राज. काश्तकारी अधि.एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट शुद्धीकरण कराने बाबत्

उपस्थितः–

1 श्री कालूराम डामोर अधिवक्ता प्रार्थी।

2 पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: आदेश :: दिनांक 23 / 07 / 2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी गांव झलाई तहसील सीमलवाड़ा का स्थाई निवासी है। वादी अपने कब्जे काश्त की भूमि पर कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करते आ रहे है। वादी व अन्य सहखातेदार के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भुमि ग्राम रणभाटीया में खाता संख्या 42, खसरा नम्बर 217, 218 कुल खेत किता 2. कुल रकबा 0.8660 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा झलाई में खाता संख्या 92. खसरा नम्बर 2377 / 1517 खेत किता 1 कुल रकबा 0.1619 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा कंकोडी में खाता संख्या 35, खसरा नम्बर 1 / 1, 8 खेत किता 2 कुल रकबा 3.8607 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा झलाई में खाता संख्या 93, खसर नम्बर 2555 / 1250, 2556 / 1212, 2559 / 1255, 2561 / 1321, 2562 / 1367, 2563 / 1420 खेत किता 6 कुल रकबा 0. 5585 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा कंकोडी में खाता संख्या 34, खसर नम्बर 122 / 7, 123 / 9, 124 / 15 खेत 3 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। जिस पर वादी व अन्य सहखातेदार संयुक्त रुप से काबीज है। वाद कारण वाद दर्ज करने के 15 दिन पूर्व वादी ने अपने हिस्से पर लोन लेने हेतु वादी ने अपने खाते की नकले निकलवायी तो जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम माना दर्ज कर दिया गया है। जिस पर वादी ने पटवारी से मिलकर मुलपुरुष कनका के फोत हो जाने पर विरासती भुमि के खोले गए नामान्तरण के समय वादी नाबालिंग होने की स्थिति में राजस्व कर्मचारीयों ने वादी का नाम मानसिंह के स्थान माना नाम दर्ज कर दिया था। जबकि वादी के सभी पहचान के दस्तावेजों आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, राशन कार्ड में वादी

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

का नाम मानसिंह अंकित है। ऐसे में वादी ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम संशोधित करने को लेकर निवेदन करने के बावजुद भी नाम संशोधित करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने की बातकर मना कर दिया गया है जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ जिससे वादी वाद प्रस्तूत करना आवश्यक हो गया है जो म्याद अवधि में पेश है। जरीये इन्द्राज दुरुस्ति वादी व अन्य सहखातेदार के संयुक्त कब्जे कामत की खातेदारी कृषि भुमि ग्राम रणभाटीया में खाता संख्या 42. खसरा नम्बर 217, 218 कुल खेत किता 2. कुल रकबा 0.0000 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा झलाई में खाता संख्या 92. खसरा नम्बर 2377/1517 खेत किता। कुल रकबा 0.1019 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा कंकोडी में खाता संख्या 35. खरारा नम्बर 1618 खेत किता 2 कुल रकबा 3.8607 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा झलाई में खाता संख्या ७३, खसर नम्बर 2555/1250. 2550/1212, 2559/1255, 2561/1321, 2502/1307, 2563/1420 खेत किता कुल रकबा 0.5585 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा कंकोडी में खाता संख्या 34, खसर नम्बर 122/7, 123/9, 124/15 खेत 3 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर में हिस्सा में वर्तमान में दर्ज नाम माना के बजाय मानसिंह दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी अन्य सहखातेदार को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि वादी व अन्य सहखातेदार के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम रणभाटीया में खाता संख्या 42. खसरा नम्बर 217, 218 कुल खेत किता 2. कुल रकबा 0.8660 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा झलाई में खाता संख्या 92, खसरा नम्बर 2377/1517 खेत किता 1 कुल रकबा 0.1619 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा कंकोळी में खाता संख्या 35. खसरा नम्बर 1/1, 8 खेत किता 2 कुल रकबा 3.8607 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा झलाई में खाता संख्या 93, खसर नम्बर 2555/1250 2556/1212, 2559/1255, 2561/1321, 2562/1367, 2563/1420 खेत किता 6 कुल रकबा 0.5585 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा ककोड़ी में खाता संख्या 34, खसर नम्बर 122/7, 123/9, 124/15 खेत 3 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर में हिस्सा में वादी के हिस्से में वादी को उपयोग उपभोग करने में रूकावट पैदा नहीं करे। वादग्रस्त आराजी वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी होने तथा वादग्रस्त भुमी पर वादी का जन्म से अधिकार निहीत होने से वादग्रस्त आराजी पर वादी का हक निहीत होने से प्रथम द्रष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन बादी के पक्ष में है। ऐसे में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दूरस्त नहीं किए जाने पर वादी को भारी आर्थिक क्षती होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब में बताया गया है कि विरासती नामान्तरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा जांच कर नामान्तरण दर्ज किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जांच कर ही नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। वादी का नाम माना दर्ज करने में किसी भी प्रकार की भूल नहीं की गई है। बहस वकील वादी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में वादी द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि माना ही मानसिंह है एवं तहसीलदार सीमलवाड़ा के

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

जवाब में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विरासती नामान्तरण खोलने में राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की भूल नहीं की गयी है। साथ ही वादी ने प्रस्तुत वाद में सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे। निर्णय आज दिनांक 23/07/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा